संख्या-102/2016/2331/सैंतीस-2-2016-1(48)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 अक्टूबर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबेल की स्थापना (रा.यो.) योजनान्तर्गत निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-649/ए-/1-1, दिनांक-03.10.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-99/2016/2190/सैंतीस-2-2016-1(48)/2015, दिनांक-30.09.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबेल की स्थापना (रा.यो.) योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-48.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक-4 पर "मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ" के स्थान पर त्रुटिवश "मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" अंकित हो गया है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दिनांक-30.09.2016 के पृष्ठांकन में क्रमांक-4 पर अंकित "मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" के स्थान पर "मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ" पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक-30.09.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(**दया शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-102/2016/2331(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**दया शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in